संख्या- 211/2023/1472/001-1472-23-10-2023-23-10002-099-10-2023

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर, 2023

विषय:- अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य आयोजनेत्तर-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में पुर्नविनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6612बी0जी/31बी0-14/2023 दिनांक 05.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-01-वेतन मद से 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में कुल रू0 202.10 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 05.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 202.10 लाख के पुर्नविनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-01-वेतन मद से 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में कुल रू0 202.10 लाख का पुर्नविनियोग करते हुये उक्तानुसार धनराशि की संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्रानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,02,10,000 (रुपये दो करोड़ दो लाख दस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 054 **लेखा शीर्षक** 2059800010400 कार्यकारी **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय]

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

संख्या-211/2023/1472/001-1472-23-10-2023-23-10002-099-10-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियो में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव